

18/09/12

18/09/12

भारतीय प्रभारनामिका INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये


Rs. 25000

THEYATREY & SANGHVI

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

944285




लेख पत्र का साक्षिण विवरण

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. गृहि का प्रकार                  | स्त्री                          |
| 2. पत्न्या                         | निवर्ती                         |
| 3. धर्म                            | हिन्दू                          |
| 4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का) | रु. अठ्ठा सठ्ठा 5000/- व 5000/- |
| 5. गणन की इकाई                     | द्विगुण                         |



गुरुजी प्रसाद



रामकृष्ण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVETHOUSAND RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक

प्रदेश UTTAR PRADESH



-2-

6.	दिल्ली संघीय का	रु.215 हजार
7.	दिल्ली का	रु.
8.	वेदी का मूल्य	रु. 18,21,345/-
9.	अध्यापक	रु.
10.	प्रिन्सिपल का	रु. 18,21,345/-
11.	माली	रु. 7,52,000/-
12.	कामगार	रु. 1,26,000/-
13.	दोसरे	



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

राज्य उत्तर प्रदेश



श्री

असल नं 5307

सूत्र  
परिचय  
उप  
दस्ता

संख्या-211, 073  
संख्या-019, 510, 211, 521  
संख्या-517  
संख्या-535



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

LB 445530

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



संख्या १० दिनांक



तारीख २०१५-१५

तारीख २०१५-०६

: अलग-अलग-०१५, ०१६, ०१७, ०१८

संख्या १०

पुस्तक  
संख्या  
कार  
दिनांक



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000


FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UT PRADESH



पुस्तक को संख्या एवं  
दिनांक प्रत्येक पृष्ठ पर लिखना  
अथवा सात पृष्ठ पर प्रत्येक पृष्ठाधीन  
पाद पर लिखना। जलवा-बरील,  
पारसना-भदवा, राहिल व  
दिना-संख्या-।  
अवकाश-रुपे

लिखित पत्र की संख्या-01  
दिनांक-दिनांक पर जो लिखना  
कुलनाम पुत्र मुद्रा, गिवाली-पारस  
व गीर-संख्या, राहिल-।  
उपरोक्त।  
अवकाश-रुपे



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


55 445832

### विक्रय अनुबंध पत्र का कर्जा

यह देवदा अनुबंध का नाम, लाल पुर मन्त्री नियाली  
ग्राम-दीधीली, मजरा- बरीला, जमना-बिजौर, ताहसील व  
जिला-जलन्धर, जिनके नाम विक्रय/पटन पर कर्जा संबंधित  
रिजिस्ट्रार का है।

एवं

विक्रय संबंधित



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 445833

कुशलपुर बुद्ध निवासी-ग्राम व मोहल-सोहला, रायबरेली,  
उत्तर प्रदेश, जिसे अग्रे प्रस्तावित पक्ष कर्णेश्वर संबंधित किया गया है के  
मध्य विभाजित हुआ।

उद्दिष्ट कि विकला/प्रधान पक्ष पट्टाधिकार खाता नमूने क्रम  
संख्या 00822, कसली वर्ष 1419 से 1424 के अंतर  
संख्या-510/1 संख्या 0.0200 हेलापूर व अंतर संख्या 6011 लखा

Handwritten text below the signature

Handwritten text below the signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES


INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



3

0-1390 हेक्टेअर कुल दो खिटा व कुल एकठा 0-215 हेक्टेअर, विधान  
ग्राम बरीगा, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मलिक  
रामगिल व कारिया है, जो विश्वनाथनाथ गढ़ का नाम राजेश  
शर्मिलेटी ने काँच असंक्रमणीय भूमिपर दर्ज है।



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय नैर न्यायिक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48-445839-1

यह एक ठोका भूमि फर्कट की थी ना कि असंक्रमणीय धन है,  
ठोका भूमि भूमि दिखना, प्रथम पक्ष ले फर्कले में गोचरु है, ठोका भूमि  
भूमि गुमना हर सोकर के इलाककात, गैरक, रेल, वन, दिवा,  
जमानत, फुर्ती, बनक, फुसला, सरकारी वा गैर सरकारी बैंक कण  
आदि से कयुल करी य पाक साफ है, अतः लक्षण अधिकारी से कल



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES


भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

भूमि को संतुल्यमूल्य घोषित करना कर 18 भाइ के भीतर विजेताओं के  
पक्ष में अतिरिक्त पक्ष के पक्ष में रिकवा विजेता निर्धारित कर देगा।  
नहीं उक्त भूमि का संतुल्यमूल्य भूमि में इतना कम नहीं हो जाता है  
और प्रत्येक दिन अतिरिक्त पक्ष को उक्त भूमि से रकम से बेदखल



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

WB 345320-

येका जारी है ता दिवना,प्रथम वश सम्पूर्ण अन्त निम्न मूल्य की  
अन्यथा अज्ञान लाहो अज्ञान,द्वितीय पक्ष को धारण करेगा।

उक्त प्रकरण लखनऊ के जमी जिला नृपि मुनि सिधत गण-वर्तीना  
मथुरा-कानोटा, गुरुजील व जिला नखनक को मूल मूल्य व  
समस्तकर बिना कक्षा नखनकन केगी सीर व इक व नृज के मित





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48,445971

12

एक 20 10,26,1481 (रुपया अठ्ठासठ लाख असीस हजार सात  
सौ अठ्ठासठ मात्र) में (केन्द्र/द्वितीय) वस उत्तर प्रदेश के एक में रचना  
करा जाता है। लिहाजा मुझे उनसे एक सेनालिखित शर्ती के माध्यम  
होने से:-



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000


FIVE THOUSAND RUPEES

नर प्रदेश UTTAR PRADESH

MB 145922

13-

1. यह कि ऊपर पाँच शून्य के सम्बन्ध में कर्तव्य तदनुदा कोमत में से अंता/द्वितीय पक्ष में विज्ञता/पथम पक्ष को रु. 18,21,748/- (कम्पना अद्वाराह लाख इक्कीस हजार सात सौ अड़तालिस मात्र) बयाना के तौर पर नीचे दिये गडे रिवरण



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 1 -

कें अनुषंगाने असे कर दिला हे। सिलकी प्रतिस विक्री/प्रधान मंत्र  
रहित करत आहे।

2. याद कि नफाया रुमया रु० ५ ०००/- (रुमया पाँच हजार पाच  
संता/द्वितीय भा, विक्री/प्रधान मंत्र ये बरकत रकिल्ली अदा  
यनेगा।



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 15 -

3. यह कि उक्त भूमि गलत की थी जो कि असांख्यगीत दर्ज है, एक कृषि भूमि विवेकाप्रयोग पत्र में दर्ज न हो चुका है, उक्त कृषि भूमि कुमल सह बिस्म के इलाक़ात, मिसल, देहल, बय, सिवा, जमालत, कुली, बलार, मुल्हमा, बालकरी का गैर आबकारी कि जय आदि में स्थित नहीं हो पाक लाग है, अतः जलम अधिकारी से उक्त भूमि को संवर्णीय घोषित करवा कर ४ गाढ़ के भीतर विवेकाप्रयोग पत्र देना/द्वितीय

*[Faint signature or stamp]*

*[Faint signature or stamp]*

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारतीय गैर न्यायिक


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 15 -

यस के पक्ष से विज्ञाप्य बिलेख निम्नलिखित कर देगा। यदि उक्त भूमि का सरकारीय भूमि में इस्तेमाल नहीं हो पाता है और प्रस्तावित जेता/डिपॉजिट पर उक्त भूमि के बन्ने से बेहतर किया जाता है तो विक्रेता/प्रथम पक्ष ससुरों प्राप्त विक्रय मुद्दों को पन्द्रोस ब्याज सहित जेता/डिपॉजिट पर से वापस करेगा।

4. यह कि विक्रेता/प्रथम पक्ष यदि उपरोक्त भूमि को उजिस्ती बयानमा निम्नलिखित स्थान में डीला-अगली करता है तो




भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000


FIVE THOUSAND RUPEES



भारत

भारत


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 17 -

हस्ताक्षरित पत्र को यह अधिकार होगा कि वह स्टांपिंग अदालत तक मुक्ति का रजिस्ट्री चक्रवाग अपने हक में रखा लेने तथा उस अदालती प्रणवारी में होने वाले सब की जिम्मेदारी विद्योतालय पर की होगी।

5 यह कि रजिस्ट्री चक्रवाग निष्ठादन में होने वाले सब की जिम्मेदारी राज्य रजिस्ट्रेशन ऑफिस जादि की जिम्मेदारी अंशाधिकारी पर उपरोक्त की होगी।



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत शासन


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 18 -

5. यह कि इस अनुबंध पर दायर कला दिया जा रहा है।  
दिल्ली/प्रथम पक्ष न लेता, द्वितीय पक्ष दोनों अनुसूचित जाती के  
अद्वय है।
7. यह कि अर्थात् दिवस अनुक्रम की शर्तें तथा दिल्ली/प्रथम पक्ष  
ए अर्थात् दिवस विधिक प्रतिक्रिया, प्रथम पक्ष न लेता, द्वितीय  
पक्ष न लेता, द्वितीय पक्ष न ले विधिक प्रतिक्रिया आदि पर भी  
लागू शर्तें।

  
[Illegible text]

  
[Illegible text]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



8. यह कि कारीबल भूमि ग्राम गरीबा, अर्धनगरीय क्षेत्र को सामान्य ग्राम को अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित दरमिन् 1/2 रु० 35,00,000/- प्रति हेक्टर से हिसाब निश्चित है, जिसके अनुसार चित्रीत सम्पत्ति की भूमि एकत्र 6,215 हेक्टर की मात्रियत रु० 1,32,000/- होती है, जो वित्तिय मूल्य से कम है, अतः निरम्पानुसार वित्तिय मूल्य पर ही रु० 1,28,000/- को अन्तर्गत करम अन्तर्गतितिय पत्र द्वारा अदा किया जा रहे हैं।



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB-445627

20

9. यह कि भारतीय कालोका में खेती होती है आराजी कालोका में पद्म, दसुम्बल, कुडां व इगारत आदि नहीं है तथा विज्ञात आराजी की 200 मीटर वन खिज्वा में बांदू निर्माण आदि नहीं है और व ही आवासीय गतिविधियां संघालित हैं।
10. यह कि कालोका आराजी मुख्य मार्ग कुनगागपुर रोड स 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

...

...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000


पाँच हजार रुपये

Rs.5000


FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



11. यह कि आराजी उपरोक्त लिखी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग,  
राष्ट्रीय राजमार्ग नं लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

  
10/8/2012



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06 264541

- 22 -

मथाना धनराशि प्राप्ति का निवेदन

1. को. 18 21 748/- (रुपया अठ्ठार लाख इक्कीस हजार सात सौ अक्षरलिप्त मात्र) काश नक संख्या- 0.00.0.0000...  
दिनांक 01.08.92. काश नेशनल बैंक माता ह्वरगंज,  
लखनऊ।



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

₹.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46 451542

- 23 -

इस प्रकार कूल रकम राशि का 75,21,348/- (सप्तस

अष्टसह लाख इक्कीस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)

दियेता/प्रधान पक्ष ने अन्तःद्वितीय पक्ष को प्रस्तुत किया।

आज यह निकाय अनुपस्थित पक्ष आज दियेता/प्रधान पक्ष ने अन्तःद्वितीय पक्ष ने दिया जोर बनाय नाजायज किसी शकल के स्वस्थ

10/11/2020

10/11/2020

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये  
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES  
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44 461543

महिलाएं, साक्षर महिलाओं से अपने-अपने स्वामित्वनिशानों अंगुली  
समापन आज देनाक 30 अगस्त सन् 2012 को तहसीर कर देना

18/8/2012

18/8/2012



ताकि सजाद रहे और समय-कालका पर काम आये।

नोट : दृक संख्या-22 पर पत्र संख्या = दिनांक काल का ले लिया गया है।

सखण्ड

दिनांक - 09.08.2012

संख्या -

1.

सखण्ड अधिकारी

पुनर् वी. प्रदीपकर भास्कर  
जयसिंह, साम्प्रदायिक,  
साखण्ड, साखण्ड



सखण्ड

विशेषाधिकार पत्र

2.

सखण्ड अधिकारी

पुनर् वी. प्रदीपकर भास्कर  
जयसिंह, साम्प्रदायिक,  
साखण्ड

साखण्ड

(राम सिंह)

सिगनेट्री ऑफिस, साखण्ड



साखण्ड

विशेषाधिकार पत्र

सखण्ड अधिकारी

विशेषाधिकार पत्र

साखण्ड

सिगनेट्री ऑफिस, साखण्ड



संख्या/दिनांक/वर्ष

दिनांक - ०१/०१/०१



दिनांक - ०१/०१/०१

दिनांक - ०१/०१/०१

दिनांक - ०१/०१/०१

001


001  
002  
003  
004  
005



1. 2000 → 2001

2. 2001 → 2002

3. 2002 → 2003



2000



2001

સત્ય તથા 30-06-2012 થી

કુલ 1 પૃષ્ઠો 14666

પૃષ્ઠો 137 કુલ 388 નંબરો 18103

કોલેજ પુસ્તકાલય

કોલેજ પુસ્તકાલય

કોલેજ પુસ્તકાલય  
કોલેજ પુસ્તકાલય  
કોલેજ પુસ્તકાલય  
કોલેજ પુસ્તકાલય  
કોલેજ પુસ્તકાલય

